न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या 12/169/2017 | प्रवेश तिथि 20—09—2017 | निर्णय दिनांक 04—12—2019

01— संदीप पुत्र औमप्रकाश जाति ओड निवासी ग्राम नंगलीमेघा तहसील रामगढ जिला अलवर।

—अपीलांट

बनाम

—रेस्पौडेन्ट

01— तहसीलदार रामगढ़, जिला अलवर

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार रामगढ़
दिनांक 10.03.2017 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व
अधिनियम प्रकरण संख्या 86/2017

उपस्थितः—

—वकील अपीलाण्ट

01—श्री लक्ष्मणसिंह पोसवाल

—ःनिर्णयः—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार रामगढ़ के आदेश दिनांक 10.03.2017 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम नंगलीमेघा की सरकारी गै0मु0 जोहड़ भूमि के आराजी खसरा नम्बर 309/1.06 है0, में से 0.04 है0 पर अवैध कब्जा करने पर की कार्यवाही, से व्यथित होकर पेश की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम नंगलीमेघा की सरकारी गै0मु0 जोहड़ भूमि के आराजी खसरा नम्बर 309/1.06 है0, में से 0.04 है0 पर अवैध कब्जा करने की पटवारी द्वारा रिपोर्ट दिनांक 31.01.2017 में अपीलांट को अतिक्रमी माना है। जबकि अपीलार्थी द्वारा जोहड की जमीन पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमायी जाकर तहसीलदार रामगढ के आदेश दि0 10.03.2017 निरस्त फरमाये जावें।

सर्व प्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया गया अपीलान्ट ने आदेश दिनांक 10.03.2017 के विरूद्ध दिनांक 20.09.2017 को पेश किया। जो करीब 6 माह के विलम्ब से पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद में अंकित तथ्यों पर विश्वास कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

हमनें अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। रिपोर्ट तहसीलदार रामगढ़ द्वारा भी अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 15.02.2019 में विवादित आराजी पर वर्तमान में अपीलार्थी का अतिक्रमण होना बताया है। अधीनस्थ न्यायालय को दि0 09.05.2018 को निर्देशित किया गया था कि जोहड़ की आराजी की पैमाईश करा ली जावें। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जोहड़ की आराजी की पैमाईश नहीं कराकर विवादित आराजी पर कब्जा होने की रिपोर्ट की गई है। अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसील रामगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि ग्राम नंगलीमेघा की सरकारी गै0मु0 जोहड़ विवादित आराजी खसरा नम्बर 309 रकबा 1.06 है0 की पैमाईश करवाकर तथा अपीलांट को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 04—12—2019 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)